

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6060 /

जबलपुर, दिनांक 15/11/2017

श्री शुभम रजक, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भागी कर्मचारी (भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "हितकारिणी वाणिज्य विज्ञान एव कला महाविद्यालय, जबलपुर से बी एस सी पचम सेमेस्टर के एक विषय (केमेस्ट्री) की बैकलॉग परीक्षा-2017 में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

सही/-

(मो फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/6061 /

जबलपुर, दिनांक 15/11/2017

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी पी.एस./न्यायिक 1, 2 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  2. रजिस्ट्रार आई टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
  3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  4. डिप्टी रजिस्ट्रार..... (समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  6. अनुभाग अधिकारी स्थापना/प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  7. सहायक स्थापना/न्यायिक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  8. श्री शुभम रजक, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भागी कर्मचारी (भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(चन्द्रेश कुमार खरे)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

१२

Registrar (Administration)  
High Court of Madhya Pradesh  
Jabalpur